

25/4/25

पञ्जावली पत्र
उक्त पत्र 37/1 महलीनडर
काबूरोड के फॉर्म 60 दिनांक
12/3/25 से प्राप्त करवाडा
प्रकार पर महल बुकी
उक्त प्रकार समेत होने
से उक्त करवाडा प्रकार
की स्वीकार किया जाता है।
निथमानुसार स्वाम्य पत्र
होने पर ग्रामिक डिप्टी की
प्राप्त करवाडा प्रकार अनुसार
कानून डिप्टी जारी है।

पञ्जावली महल बुकी
होकर नोट के कर्माधी

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

